नेहरू / जवाहर

बनाम

छत्तीसगढ राज्य

(अपराधिक अपील क्रमांक 1279/2001)

13 जून 2008

(न्यायमूर्ति श्री डा अरिजीत पासायत और न्यायमूर्ति श्री पी.पी नाओलेकर)

भारतीय दंड संहिता 1860। धारा 376 बलात्कारः निचली अदालत द्वारा दोषसिद्विः-अभियोजन पक्ष के बयान और पीडिता की सहमति में असंगतता की दलील-यह कहा कि: मामले के रिकार्ड के मध्येनजर प्रकरण में कोई असंगति नही पायी गयी-पीडिता के बयान से उसकी सहमति का खुलासा नही होता है- दोषसिद्वि उचित है।

अपीलकर्ता-अभियुक्त पर आइपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया गया। अभियुक्त ने दलील दी कि अभियोक्त्री ने इस कृत्य के लिए सहमति दी थी। अभियोक्त्री ने अपनी उम्र 14 साल बतायी. अपने बयानों में उसने बताया कि कैसे उसने खुद को आरोपियों से छुडवाने के लिए संघर्ष किया। विचारणीय न्यायलय में उसने बताया कि उसकी उम्र लगभग 16 साल थी, लेकिन सहमति का अभाव पाया गया और आरोपी को दोषी ठहराया गया है। उच्च न्यायलय ने दोषसिद्वि की पुष्टि की।

इस न्यायलय में की गई अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि दोषसिद्वि की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अभियोजन का मामला असंगत था क्योंकि उसमें कहा गया था कि अभियोक्त्री की सुबह 9:15 ए.एम बजे डाक्टर (पी.डब्लू-7) द्वारा जांच की थी,

जबकि एफआईआर ही 11 ए.एम बजे दर्ज की गई थी तथा अभियोक्त्री ने अपनी जिरह में कहा कि उसने इस कृत्य के लिए सहमति दी थी।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

अपील में योग्यता का अभाव है। हालांकि डाक्टर (पी.डब्ल्यू-7) ने कहा कि उसने सुबह 9:15 ए.एम बजे अभियोक्त्री की जांच की थी, लेकिन उसमें कुछ भ्रम है। प्रदर्श पी-8 वह दस्तावेज है जिसमें पुलिस अधिकारी ने पीडिता को मेडिकल जांच के लिए भेजा। डॉक्टर ने जांच का समय साफ तौर पर रात 9:15 पी.एम बजे बताया है। इसलिए इस दलील में कोई दम नही है अभियोक्त्री कि परीक्षा सुबह 9:15 ए.एम हुई थी। अभियोजन पक्ष से की गई जिरह में सवालों के जबाव को देखते हुए सहमति की दलील भी निराधार है। [पैरा 5, 8 और 9] [1188-एफ, जी और एच, 1189-एफ और जी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1289/2001।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय जबलपुर के आपराधिक अपील संख्या 531/1989 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकिंत 05.05.2000 से।

अपीलकर्ता के लिए श्री शिशिर पिंकी।

प्रतिवादी की ओर से अतुल झा, डा. मनीष सिंघवी, डी के सिन्हा और राजेश श्रीवास्तव।

न्यायालय का निर्णय डा. श्री अरजीत पसायत द्वारा सुनाया गया।

1. इस अपील में मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय के विद्वान एकल न्यायधीश के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 के तहत

दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा गया है (संक्षेप में आइपीसी)। लेकिन विचारण न्यायलय यानि सत्र न्यायधीश, राजनंदगांव की अदालत द्वारा सुनायी गयी 7 साल की सजा को घटाकर पाच साल कर दिया गया और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 (1) के तहत 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया (संक्षेप में सीआरपीसी)। उसमें यह भी निर्धारित किया गया कि यदि निर्धारित समय के भीतर उक्त जुर्माना नही चुकाया गया, तो विचारणीय न्यायलय द्वारा सुनाई गई सात साल की हिरासत की सजा बरकरार रहेगी।

2. अभियोजन के अनुसार 10 जून 1988 की सुबह आरोपी ने पीडिता की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह 11 बजे के आसपास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। 12 जून 1988 को गिरफतारी के बाद आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। कुछ वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए भी भेजा गया था। जांच पूरी होने के बाद, आरोप पत्र दायर किया गया और आरोपी ने खुद को निर्दोष और प्रकरण में झूठा फसाये जाने की दलील दी। आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों से पूछताछ की। अभियोक्त्री गवाह जिसकी साक्ष्य पीडब्लू 02 के रूप में तथा डाक्टर गवाह की साक्ष्य पीडब्लू 7 के रूप में की गई। जांच अधिकारी की साक्ष्य पीडब्लू 9 के रूप में की गई। पीडब्लू 8 राजनांदगांव पुलिस स्टेशन में तैनात उपनिरीक्षक था। विचारीण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने पीडिता की उम्र 14 वर्ष बतायी। चूकिं अभियुक्त प्रकरण में अपने बचाव में सहमति की दलील भी ले रहा था, अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 375 के खंड 6 पर भरोसा करता है और यह तर्क देता है कि प्रकरण में अभियोक्त्री की सहमति का कोई महत्व नही था क्योकि वह 16 वर्ष से कम उम्र की थी। प्रकरण में किसी भी स्थिति में सहमति का कोई सबूत नही था। विचारणीय

न्यायलय ने पीडिता की उम्र का 16 वर्ष से कम होना पाया, लेकिन यह निकर्ष निकला कि अभियोक्त्री की कोई सहमति नही थी जिसका दावा अभियुक्त ने किया था। कोई सहमति नही थी। तदानुसार दोषसिद्दि दर्ज की गई और अभियुक्त को सात साल की कैद की सजा के साथ साथ 100/-रूपये का जूर्माना भी अधिरोपित किया गया। जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील में उच्च न्यायलय ने दोषसिद्दि और पांच साल की सजा को बरकरार रखा और जूर्माना बढाकर 20000 रूपये कर दिया। तथा यह भी कहा की यदि जुर्माना अदा कर दिया गया है तो उसे पीडिता को दे दिया जावे और यदि जुर्माना नही दिया गया है तो विचारणीय न्यायलय द्वारा पारित की गई सजा बरकरार रखी जायेगी।

3. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि मामले में कुछ संदिग्ध परिस्थितिया हैं। सबसे पहले स्वीकार की गई एफ आइ आर सुबह 11 बजे दर्ज की गई लेकिन अजीब बात है कि डाक्टर ने दावा किया कि उसने पीडिता मेडिकल जांच सुबह 9.15 बजे की थी। दूसरी, यह कि पीडिता ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कहा था कि इस कृत्य में उसकी सहमति थी।

4. दूसरी ओर से प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील ने कहा कि उक्त प्रस्तुतिया तथ्यहीन है तथा रिकार्ड पर मौजूद साक्ष्य के विपरीत हैं।

5. हम सबसे पहले इस प्रश्न को देखेगे कि डाक्टर द्वारा पीडिता की जांच कब की गई कि गयी थी। हालाकि डाक्टर पी.डब्ल्यू-7 ने कहा कि उसने सुबह 9:15 पर पीडिता की जांच की थी। लेकिन यहा पर कुछ भ्रम है। प्रदर्श पी-8 वह दस्तावेज है। जिसके द्वारा पुलिस अधिकारी ने पीडिता को मेडिकल जांच के लिए भेजा था। डाक्टर ने जांच का समय साफ तौर पर 9:15 पी.एम बजे होना बताया है। हमने रिकार्ड पर उपलब्ध मूल दस्तावेज का हवाला दिया और इसलिए हमें अपीलकर्ता के विद्वान वकील की ओर

से दी गई इस दलील में कोई तथ्य नही मिला कि पीडिता की परीक्षा सुबह 9:15 ए.एम बजे हुई थी।

6. जहा तक सहमति का सवाल है अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने पीडिता की जिरह का हवाला दिया, विशेष रूप से प्रश्न संख्या 10 में। अभियोक्त्री द्वारा दिया गया प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है।

> प्र. क्या यह सच है कि चूकिं आरोपी ने लकडी नही उठायी, इसलिए आपने उस पर झूठा आरोप लगाया है
>
> उ. (गवाह ने हा कहा, इसके बाद सवाल पुनः दोहराया गया, तब उसने कहा कि यह सही नही है)

(जोर देने के लिए रेखांकित)

7. पैराग्राफ 13 और 14 के उत्तर भी प्रासांगिक हैं, उन्हें इस प्रकार पढ़ेः

> "13. स्कूल के अंदर ले जाकर आरोपी ने मेरे सिर पर रखे लकडी के ढेर को उतार दिया और मुझे कमरे के अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन मैं कमरे में नही गयी। उसके बाद आरोपी ने मुझे पकड़ लिया और जब मैं चिल्लाई तो आरोपी ने मेरा मुह बंद कर दिया। और उसके बाद वह मुझे कमरे के अंदर ले गया और मुझे लिटा दिया, उसके बाद उसने मेरा पेटीकोट उठा दिया। जब मैंने उसे पैरों से मारा तो उसने मेरी पैर पकड़ लिया। मैने उसे हाथ से भी पीटा था, उसके बाद आरोपी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जब आरोपी ने मेरा मुह छोडा तो, मैंने फिर कोशिश की लेकिन उसने फिर से मेरा मुह बंद कर दिया।

14. स्कूल के उस कमरे का फर्स पत्थर का है जहा आरोपी ने मुझे जमीन पर लिटाया था मैंने खुद को आरोपियों की पकड़ से छुडाने की काफी कोशिश की, जिससे मेरे शरीर व कमर में खरोंच आ गई।"

8. उपरोक्त स्थिति में सहमति की दलील सारहीन है.

9. अपील में योग्यता का अभाव है इसलिए यह खारिज करने योग्य है, जिसे हम निर्देशित करते हैं।

10. विद्वान न्यायमित्र श्री शिशिर पिनाकी ने जिस सक्षम तरीके से न्यायलय की सहायता की, उसके लिए हम अपने निष्कर्ष में उनकी सरहाना दर्ज करते है।

के.के.टी. अपील खारिज की जाती।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विजेंद्र कुमार मीना (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।